

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,  
वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

~~८७~~ संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-3

लखनऊः दिनांकः 24 अप्रैल, 2018

~~मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश के कार्मिकों को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम-2017 के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग में नियुक्त/संविलीन किये जाने के संबंध में।~~

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मनोरंजन कर विभाग उ०प्र० के कार्मिकों को उ०प्र० माल एवं सेवा कर अधिनियम-2017 के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से संविलियन किये जाने के फलस्वरूप सम्यक् विचारोपरानत निम्नवत् कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) निम्न वर्णित अधिनियम/नियमावलियों एवं विभिन्न आमोदों के विनियमन से संबंधित अन्य सुसंगत विधिक प्राविधानों का कार्य वाणिज्य कर विभाग द्वारा निष्पादित किया जायेगा :-

1. केबिल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995
2. केबिल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली, 1994
3. उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955
4. उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951
5. उत्तर प्रदेश (वीडियो के माध्यम से प्रदर्शन) नियमावली, 1988

उपरोक्त अधिनियमों/नियमावली के अधीन निर्धारित अधिकार एवं कर्तव्य वर्तमान में अधिकृत अधिकारियों व इनके समकक्ष/उच्चतर वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को भी उपलब्ध होंगे। जनपद स्तर पर उक्त कार्य पूर्व की भाँति जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निष्पादित किया जाता रहेगा।

(2) वाणिज्य कर विभाग में मनोरंजन से संबंधित कार्यों के निस्तारण हेतु अपर आयुक्त स्तर के 02 पद (आयुक्त, मनोरंजन कर के स्थान पर एक पद आई०ए०एस० संवर्ग का एवं एक पद पी०सी०एस० संवर्ग का) वाणिज्य कर विभाग में स्थानान्तरित किया जाता है।

(3) उपर्युक्त प्रस्तर (1) में वर्णित अधिनियमों/नियमावलियों में मनोरंजन कर आयुक्त, उ०प्र० को प्राप्त अधिकारों एवं दायित्वों का निर्वहन कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा किया जायेगा।

~~२०५/२५-१-१९८५~~

~~२०५/२५-१-१९८५~~

~~जायेगा।~~

(4) मनोरंजन कर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का वाणिज्य कर विभाग में संविलियन की अधिसूचना जारी होने की तिथि से मनोरंजन कर विभाग समाप्त किया जाता है। इसमें तैनात समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी वाणिज्य कर विभाग के पर्यवेक्षण व नियंत्रण में कार्यरत होंगे। जिन आधिकारियों/कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी आयुक्त, मनोरंजन कर हैं, उनके नियुक्ति प्राधिकारी आयुक्त अथवा अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, जैसी भी स्थिति वाणिज्य कर विभाग में समकक्ष कार्मिकों की हो, होंगे। समूह-“घ” के कार्मिकों के नियुक्ति अधिकारी वाणिज्य कर विभाग के समूह-“घ” के नियुक्ति अधिकारी होंगे।

(5) मनोरंजन कर विभाग के संविलीन अधिकारियों/कर्मचारियों के बेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु मनोरंजन कर विभाग में वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के आहरण एवं वितरण का अधिकार आयुक्त, मनोरंजन कर के स्थान पर आयुक्त, वाणिज्य कर, उ०प्र० में निहित होगा।

मनोरंजन कर विभाग के संविलीन किये जा रहे कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण और अन्य सेवा शर्तों आदि का निर्धारण कार्मिक, वित्त एवं संबंधित विभागों के परामर्श से बाद में किया जायेगा। इन अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों, इनके क्षेत्राधिकार एवं आवश्यकता का निर्धारण आवश्यक अध्ययन करने के उपरान्त यथा समय किया जायेगा।

भवदीय,

*A. Sinha*

(आलोक सिन्हा)

अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन पत्र संख्या-स्था0-2-मनोरंजन कर संविलियन-

२९३

/ वाणिज्य कर  
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,  
( स्थापना- अनुभाग )

लखनऊ :: दिनांक :: १५ मई, 2018,

जी०एस०टी० की व्यवस्था प्रचलित होने के उपरान्त मनोरंजन कर विभाग के कार्मिकों का वाणिज्य कर विभाग में संविलियन किये जाने से संबंधित शासनादेश संख्या-५२०/११-३-२०१८-१०३/ २०१७ दिनांक २४-०४-२०१८ की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप सम्बन्धित स्तर पर अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का काष्ट करें :-

- 1- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-१/३ उ०प्र०शासन, सचिवालय लखनऊ।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3- एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 5- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-१, (उच्च न्यायालय कार्य)वाणिज्य कर, इलाहाबाद/ लखनऊ।
- 6- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-१( सर्वोच्च न्यायालय कार्य)वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
- 7- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-२/ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-२(वि०अनु०शा०)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर (क०नि०)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त आहरण वितरण अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 11- निदेशक, पेन्शन निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
- 12- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 13- संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)वाणिज्य कर, गोमतीनगर लखनऊ।
- 14- समस्त अनुभाग अधिकारी वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- 15- असिस्टेन्ट कमिश्नर(आई०टी०)वाणिज्य कर, मुख्यालय को शासनादेश संख्या-५२०/११-३-२०१८-१०३/ २०१७ दिनांक २४-०४-२०१८ को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड कराने का काष्ट करें।

( बिता तिवारी )

ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

